इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 मई 2011—वैशाख 14, शक 1933

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन तथा अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन सम्बन्धी व्यवस्था वर्ष 2011—12

ग्वालियर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक 6 (स) पॉपी./लाय./2011—12/608 सर्वसाधारण की जानकारी एवं पॉपीस्ट्रा (डोड़ाचूरा) के थोक विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2011—12 की शेष अवधि के लिए अर्थात लायसेंस दिये जाने के दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए, मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मंदसौर में 33, जिला नीमच में 20, जिला रतलाम में 07 एवं जिला शाजापुर में 08, इस प्रकार कुल 68 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.—2) लायसेंसों का निष्पादन, लायसेंसवार पृथक—पृथक टेण्डर आमंत्रित कर **दिनांक 10.05.2011 दिन मंगलवार** को इस सूचना पत्र के परिशिष्ट—एक में दर्शाये गये स्थानों पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जो व्यक्ति टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेना चाहें, वे **परिशिष्ट—एक** में दर्शाये गये अनुसार टेण्डर निष्पादन हेतु नियत स्थान/स्थल पर उपस्थित होकर **कण्डिका क्रमांक 27** में दर्शाये गये अनुसार नियत तिथि एवं समय तक, नियमानुसार क्रय किये गये प्रपत्र में टेण्डर प्रस्तुत सकते हैं। उपरोक्त से संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, निष्पादित किये जाने वाले पॉपीस्ट्रा (डोड़ाचूरा) के थोक विक्रय के (पी.एस.—2) के लायसेंसों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, परिवहन फीस, निर्यात फीस, डयूटी की दर आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.—2) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही, यदि किसी कारण—वश उपरोक्त घोषित दिनांक को पूरी नहीं हुई तो, यह कार्यवाही संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार, अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी।

नोटः— टेण्डर द्वारा निष्पादन से तात्पर्य केवल अफीम उत्पादक जिलों में, पॉपीस्ट्रा के 68 थोक विक्रय के (पी.एस.—2) लायसेंसों के घोषित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध, केवल टेण्डर द्वारा ऑफर प्राप्त कर, लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया से है।

<u>टेण्डर द्वारा निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन</u>

1. <u>व्यक्ति जो टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित होंगे :—</u>

टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में केवल ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नांकित व्यक्ति टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे :—

1.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

1.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।

1.3 वर्ष 2010—11 की अवधि का पॉपीस्ट्रा का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2010—11 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न पटाई गयी हो।

1.4 कोई भी व्यक्ति जो पहले पॉपीस्ट्रा का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।

1.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

1.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

1.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

<u>टिप्पणी—</u>

1— बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.2 एवं 1.3 में उल्लिखित शर्त निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

2— काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.5 की शर्त निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

2. <u>सहमति करार—पत्र प्रस्तुत करना :—</u>

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तद्नुसार राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (**PAN**) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

<u>पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.—2) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन में टेण्डर की शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार</u>

राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं..(टेण्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री...निवासी, ...धन्धे का स्थान ....आयु.........(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं कि :–

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्तमान बचत/चालू खाते का क्रमांक ....व बैंक का नाम तथा पता ....है।

(2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक,...है।

(3) मैंने पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्ते पढ़–सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तो एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/ करती हूं।

(4) मैंने जमा की गई अर्नेस्टमनी का पूर्ण विवरण संलग्न प्रस्तुत कर दिया है।

(5) मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गयी अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर...............................

दिनांक.................................

टीप :–

(1) पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के प्रत्येक लायसेंस के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म /कम्पनी) द्वारा अपने वर्तमान बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा **(PAN)** क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) टेण्डर दाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/ मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री/श्रीमती...को उपरोक्त उल्लेखित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .... जिला ....

3. <u>नोटराइज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जानाः–</u>

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं स्वयं (नाम)..

(पिता/पति का नाम)...

निवासी (पता)..

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम).. ....की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2011–12 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला .... के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के

निष्पादन हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि, कुल रूपये ....निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–

(I) नगद राशि रूपये..
एम.पी.टी.सी.–6 रसीद क्रमांक ....दिनांक ....

(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर रूपये..

योग :– रूपये

(5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(6) मैं टेण्डर में अंकित ऑफर स्वीकृत होने की दशा में, देय अग्रिम धन राशि (1/4 भाग), प्रतिभूति राशि (1/12 भाग) एवं अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

(7) पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा पॉपीस्ट्रा के थोक लायसेंसों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान...............................

हस्ताक्षर....................................
दिनांक / /2011

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)..
(पिता/पति का नाम) श्री.. शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।
स्थान............................

हस्ताक्षर................................
दिनांक / /2011

नोटः–यदि एक टेण्डरदाता किसी जिले के एक से अधिक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिये टेण्डर देता है तथा सभी के लिये एक ही नोटराइज्ड शपथ पत्र देना चाहता है तो, उसे कुल लायसेंसों का नाम तथा उनकी कुल अर्नेस्टमनी जमा करने का विवरण, नोटराइज्ड शपथ पत्र में देना होगा। शपथ पत्र में यह भी लिखना होगा कि मूल शपथ पत्र, किस लायसेंस के टेण्डर के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस शपथ पत्र की सत्यापित प्रति, टेण्डरदाता अन्य प्रत्येक लायसेंस के टेण्डर के साथ संलग्न करेगा।

4. टेण्डरदाता की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :–

टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक–एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर संलग्न प्रस्तुत करना होगा :–

4.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

(1) पासपोर्ट।
(2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
(3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।

(4) ड्रायविंग लायसेंस।
(5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

4.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

(1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
(2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
(3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।
(4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
(5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
(6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
(7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

5. यदि कोई टेण्डरदाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है तो टेण्डर देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:–

(i) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र/निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
(ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।
(iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।
(iv) संबंधित फर्म/कम्पनी की ओर से, टेण्डर द्वारा निष्पादन में भाग लेने के आशय के **Resolution** के साथ, टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार–पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

6. आरक्षित मूल्य :–

वर्ष 2011–12 के लिए अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम एवं शाजापुर में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.–2) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य, उनकी वर्ष 2010–11 की लायसेंसवार विभाजित वार्षिक लायसेंस फीस के समतुल्य रहेगा।

7. अर्नेस्टमनी जमा करना :–

प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए वर्ष 2011–12 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत् पुष्टि/संतुष्टि कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरान्त ही टेण्डर मान्य किया जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित **शर्त क्रमांक 09** में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा/अथवा अवशेष राशि **(यदि कोई हो)** वापिस की जावेगी।

असफल टेण्डरदाता को जमा की गई अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी। इसे वापिस प्राप्त करने के लिए टेण्डरदाता को रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी।

8. टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया :–

वर्ष 2010–11 के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

8.1 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम एवं शाजापुर में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लायसेंस कण्डिका क्रमांक 27 में घोषित तिथि एवं समय अनुसार, टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे।

8.2 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम एवं शाजापुर में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के निराकरण हेतु, क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला मन्दसौर, नीमच एवं शाजापुर के कार्यालयों से कण्डिका क्रमांक 27 में उल्लेखित दिनांक एवं समय में क्रय किये जा सकेंगे। टेण्डर प्रपत्र का मूल्य रूपये 5000/– रहेगा।

8.3 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से कण्डिका क्रमांक 8.2 में उल्लेखित नियत राशि के भुगतान पर किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि एम.पी.टी.सी.–6 रसीद द्वारा ली जायेगी। यही एम.पी.टी.सी.–6 रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेण्डरदाता के प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

8.4 एक व्यक्ति पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक व्यक्ति कई पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए अलग–अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा।

8.5 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा। भाग–एक में टेण्डरदाता घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी जमा करने का प्रमाण, सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज तथा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक **(PAN)** कार्ड, बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेख एक लिफाफे में बंद कर रखेगा।

एक अन्य लिफाफे में वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के स्थल का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेंडर प्रपत्र के भाग–दो में प्रस्तुत करेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का पोस्ट डेटेड चैक भी रखेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों **भाग "एक" व "दो"** के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में, इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफे को खोला न जा सके। टेण्डरदाता द्वारा सील्ड टेण्डर **कण्डिका क्रमांक 27** में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

8.6 विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम/जिला आबकारी अधिकारी, जिला मन्दसौर, नीमच एवं शाजापुर के कार्यालय में कण्डिका क्रमांक 27 में उल्लेखित तिथियों में जमा किये जा सकेंगे।

8.7 उपरोक्त के साथ–साथ विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेण्डर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के कार्यालय में भी, कण्डिका क्रमांक 27 में उल्लेखित नियत दिनांकों में जमा किये जा सकेंगे, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सील्ड) भेज दिया जायेगा।

8.8 प्रत्येक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। **दिनांक 10 मई 2011 दिन मंगलवार** को **परिशिष्ट–एक** में अधिसूचित स्थान व **कण्डिका क्रमांक 27** में उल्लेखित समय पर, सर्वप्रथम टेंडरदाताओं द्वारा प्रस्तुत टेंडर का भाग–एक खोला जाकर, टेंडरदाता के टेंडर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। टेण्डर प्रपत्र भाग–एक के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी के विधिवत् जमा पाये जाने पर, अन्य अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर टेण्डर प्रपत्र भाग–दो में प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार, संबंधित जिला कलेक्टर मौके पर ही करवा सकेंगे। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका–समाधान के लिए, आबकारी आयुक्त से कलेक्टर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

8.9 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा करा सकता है। ऐसी स्थिति में टेण्डरदाता, टेण्डर प्रपत्र का भाग–एक प्रस्तुत नहीं करेगा। पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए, प्रस्तुत अन्य टेण्डरों का भाग–एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जावेगी।

8.10 जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने पर ही, टेंडर के भाग–दो (फायनेंशियल बिड) को खोला जाएगा। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग–दो खोलने से, उसका ऑफर (फायनेंशियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग–एक अनुसार, टेण्डरदाता अपात्र नहीं है तो ही उसका ऑफर

विचारणीय होगा अन्यथा नहीं।

8.11 टेंडर के माध्यम से प्राप्त उच्चतम ऑफर, जिले के तुलनात्मक राजस्व में अधिकतम वृद्धि की दृष्टि से पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके अधिक राशि का हाने पर, उसे जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा।

8.12 टेंडर जमा करते समय अथवा टेंडर खोलने के दौरान टेंडरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

8.13 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।

8.14 विभाग द्वारा निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8.15 पॉपीस्ट्रा के जिन थोक विक्रय के लायसेंसों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जाना है, उनकी सूची, उनका स्थान, उनका लायसेंसवार आरक्षित मूल्य, विगत तीन वर्षों में कृषकों से क्रय किये गये पॉपीस्ट्रा की मात्रा, उसके परिवहन, निर्यात, परिवहन फीस, निर्यात फीस एवं डयूटी की दर आदि की जानकारी (सेल पेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध कराई जायेगी।

9. <u>अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि/अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना</u> :–

9.1 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर (टेण्डर राशि) का 1/4 भाग अग्रिम धन जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरूद्ध टेण्डरदाता के द्वारा टेण्डर देने के पूर्व जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी। शेष अग्रिम धन की राशि, नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के पश्चात्, तुरन्त जमा करना होगी।

9.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के सफल टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेण्डरदाता को, अग्रिम धन की राशि का शेष भाग जमा करने के लिए, तीन दिवस का समय दे सकेंगे। तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

9.3 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर देय एवं भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

9.4 प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त कण्डिका 9.3 के अनुसार प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2012 तक की होगी। इससे अल्प अवधि अथवा आंशिक वैधता अवधि की बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।

9.5 अगर सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।

9.6 वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित प्रतिभूति राशि की बैंक गारण्टी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर, रूपये 250/– मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार करा कर प्रस्तुत की जायेगी।

9.7 सफल टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने, 1/4 अग्रिम धन या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल टेण्डरदाता द्वारा

जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस/लायसेंसों के समूह का टेण्डर द्वारा पुनःनिष्पादन किया जायेगा। इस पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू–राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

9.8 सफल टेण्डरदाता को उपरोक्त के अतिरिक्त उसकी लायसेंस फीस की मासिक अंशिका के किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अपने बचत/चालू बैंक खाते के माह जून, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की पहली तारीख को देय सात (07) पोस्टडेटेड चैक भी लायसेंस जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी कर प्रस्तुत करना होंगे। इन पोस्टडेटेड चैक का उपयोग लायसेंसी द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस समय पर जमा न करने की स्थिति में देय/अवशेष लायसेंस फीस की वसूली के विरूद्ध किया जायगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा देय सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस चुका दी जाती है तो, उपरोक्त पोस्टडेटेड चैकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर मूलतः वापस कर दिया जायेगा।

9.9 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी को शासन को देय किसी भी प्रकार की राशि की वसूली तथा/अथवा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरूद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून 2012 तकर अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों आदि के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।

नोटः–1– सफल टेण्डरदाता का आशय ऐसे टेण्डरदाता से है, जिसका टेण्डर में अंकित ऑफर सर्वाधिक राशि का हो एवं स्वीकार किया गया हो ।

2– अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा।

10 <u>वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना :–</u>

10.1 वर्ष 2011–12 के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक लायसेंसों की वार्षिक लायसेंस फीस की गणना वर्ष 2011–12 की शेष अवधि के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.–2) लायसेंस के लिए प्राप्त उच्चतम ऑफर के आधार समानुपातिक रूप से परिगणित की जायेगी। तद्नुरूप ही मासिक लायसेंस फीस की देय किश्त की गणना वर्ष 2011–12 के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक लायसेंसों की परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस के आधार पर समानुपातिक रूप से आंकलित की जायेगी।

10.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को लायसेंस जारी करने के पूर्व उस माह की लायसेंस फीस की मासिक किश्त, जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त मासिक किश्त जमा होने पर ही उसे आवश्यक परमिट दिए जायेंगे।

10.3 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों की देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी।

10.4 यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, <u>उपरोक्त शर्त 10.3</u> के अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है तो, कलेक्टर द्वारा उस पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस को पॉपीस्ट्रा का क्रय/विक्रय निषेधित किया जा सकेगा। संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में, ऐसे पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायसेंस निरस्त कर, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की कार्यवाही, संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंसी से भू–राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

10.5 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के समूह के लिए जमा 1/4 भाग अग्रिम की राशि माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2012 की देय लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित की जावेगी।

10.6 वर्ष 2011–12 शेष अवधि के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.–2) लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति के पूर्व जब भी, अग्रिम धन (1/4 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय वार्षिक लायसेंस फीस तथा अन्य कोई देय राशि, जमा कर लायसेंसी जमा प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि का समायोजन शेष रही लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता हो तो, कलेक्टर द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि आदि की वसूली के लिए रूपये पच्चीस लाख तक वार्षिक लायसेंस फीस के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए रूपये एक लाख तथा रूपये पच्चीस लाख से अधिक वार्षिक लायसेंस फीस के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए रूपये दो लाख की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत/जमा करना अनिवार्य होगी। प्रतिभूति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के पश्चात् ही, सम्पूर्ण लायसेंस फीस जमा होना मान्य किया जावेगा। कलेक्टर को यदि औचित्यपूर्ण ढंग से विचार कर यह विश्वास होता है कि रूपये एक लाख अथवा रूपये दो लाख की राशि, लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के विरूद्ध अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह अपने विवेक से अधिक एवं युक्तियुक्त राशि की मांग लायसेंसी से कर, जमा प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि के समायोजन की अनुमति प्रदान करेंगे।

11 <u>टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में न दिये गये टेण्डर स्वीकार न करना :–</u>

वर्ष 2011–12 के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति का टेण्डर, जिसने टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय अथवा पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन यदि हुआ हो, तो पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के समय टेण्डर न दिया हो विचार योग्य नहीं होगा।

12 <u>प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :–</u>

वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का निष्पादन अन्तिम होने के पश्चात्, संबंधित टेण्डरदाता को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ही, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार के निष्पादन एवं अन्य सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त ही, उसे संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायसेंस जारी किया जायेगा।

13 <u>निष्पादन अवधि में पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करना :–</u>

वर्ष 2011–12 के लिए अथवा वर्ष 2011–12 के मध्य में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा। इस हेतु सूचना–पत्र, पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से, कम से कम पांच दिन पूर्व जारी करना होगा। सूचना–पत्र का प्रदर्शन संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा तथा समाचार पत्र में भी इसे यथासंभव प्रकाशित कराया जाएगा।

14 <u>वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करना :–</u>

वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के आदेशानुसार, किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का निष्पादन, टेण्डर द्वारा फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि निष्पादन के दौरान ही पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो इसकी सूचना पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए <u>शर्त क्रमांक 15</u> का पालन किया जायेगा। पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि, संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का, किसी भी कारण से नियत तिथि को टेण्डर द्वारा निष्पादन सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है तो, उसके टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे। जिसकी घोषणा टेण्डर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जा सकेगी।

15 **पुनःनिष्पादन :–**

15.1 पुनःनिष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के समय, उस लायसेंस जिसका वह पुनःनिष्पादन चाहता है, के टेण्डर द्वारा निराकरण की कार्यवाही में टेण्डर स्थल पर उपस्थित रहा हो तथा जो टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस के लिए टेण्डर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस के उसके द्वारा भी टेण्डर दिया गया हो।

15.2 टेण्डर द्वारा अन्तिम किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के पुनःनिष्पादन के लिये आवेदन, टेण्डर द्वारा निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर, संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनःनिष्पादन आवेदन के साथ, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस, जिसका वह पुनःनिष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके, बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत /अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।

15.3 पुनःनिष्पादन के आवेदन–पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक टेण्डर की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का ऑफर देना चाहता हो। पुनःनिष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर टेण्डर स्थल में पुनःनिष्पादन की घोषणा करते हैं तो, कम से कम 5 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।

15.4 पुनःनिष्पादन होने की दशा में यदि टेण्डरदाता/आवेदनकर्ता पुनःनिष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर नहीं देता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर जमा की गई राशि, अथवा जमा अन्य कोई भी राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनःनिष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित ऑफर से कम का ऑफर टेण्डर में अंकित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा ऑफर देने में असफल रहेगा तो, उसके द्वारा जमा की गयी राशि राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

15.5 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनःनिष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।

15.6 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का पुनःनिष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय जिस टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने के लिय बाध्य होगा।

15.7 पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।

16 **खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना :–**

उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृत होने की पुष्टि तक टेण्डर में अंकित अपने ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस को पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने पर, जो खिसारा आयेगा अर्थात शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम टेण्डरदाता से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 9 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरूद्ध किया गया है तो, इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/4 भाग), जमा प्रतिभूति (1/12 भाग) तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई, अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जाएगी।

अग्रिम धन/प्रतिभूति का राजसात करना :–

कोई टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृति की पुष्टि होने तक, अपने टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर न रहते हुए टेण्डर वापिस लेगा अथवा किसी टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तो का वर्ष के दौरान

उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के लिए जमा अग्रिम धन की 1/4 भाग राशि, प्रतिभूति की 1/12 भाग राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस, संबंधित कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवस्र दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंन्तिम होगा।

17 लायसेंस की अवधि में टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :–

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों की टेण्डर द्वारा निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2011–12 के लिए तथा वर्ष 2011–12 के दौरान होने वाले पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।

18 लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण :–

वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान, यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का हस्तांतरण, किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के पक्ष में किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, इस हेतु संबंधित लायसेंस की वर्ष 2011–12 की वार्षिक लायसेंस फीस के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि, हस्तान्तरण फीस के रूप में प्रभारित की जाकर ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान किये जाने पर ही लायसेंस का हस्तान्तरण किया जायेगा। लायसेंस की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए, मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को, बीच में हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

19 अतिरिक्त गोदाम एवं पी.एस.–2–क की लायसेंस फीस :–

19.1 वर्ष 2011–12 के लिए पी.एस.–2 लायसेंस में प्रत्येक अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस रूपये 25,000/–सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक से देय होगी।

19.2 वर्ष 2011–12 के लिए पी.एस.–2–क लायसेंस की लायसेंस फीस रूपये 10,000/– सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक से देय होगी।

20 पी.एस.–2 लायसेंसी द्वारा कृषकों से पॉपीस्ट्रा का क्रय :–

20.1 वर्ष 2011–12 में पी.एस.–2 लायसेंसी को, उसके **पी.एस.–2 लायसेंस से संबंद्ध पॉपीस्ट्रा** कृषकों द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण पॉपीस्ट्रा, शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्रय दर रूपये 100/– प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करना होगा। कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा के न्यूनतम क्रय मूल्य में, शासन द्वारा कभी भी, किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा।

20.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.–2 लायसेंस के स्वीकृत/संबद्ध अफीम के उत्पादन क्षेत्र में, पी.एस.–2 लायसेंस से संबद्ध पॉपीस्ट्रा कृषकों के पास उपलब्ध समस्त पॉपीस्ट्रा का क्रय करने के उपरान्त, पी.एस.–2 लायसेंसी दिनांक 01 अक्टूबर 2011 के बाद दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक जिले के अन्दर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा का क्रय कर सकेंगे।

20.3 **पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस–2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में अफीम के उत्पादन के आधार पर पॉपीस्ट्रा उत्पादन का आंकलन कर, कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्टा की सम्पूर्ण मात्रा का 40 प्रतिशत माह जून 2011 तक, 30 प्रतिशत माह जुलाई 2011 तक एवं शेष 30 प्रतिशत माह सितम्बर 2011 तक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी.एस.–2 लायसेंसी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। इस अनुपात से कम पॉपीस्ट्रा क्रय होने की स्थित में जिले के अन्य क्षेत्रों के पी.एस.–2 लायसेंसी को पॉपीस्ट्रा क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी।**

20.4 लायसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से लायसेंस रद्द होने की स्थिति में, पी.एस.–2 लायसेंसी को पॉपीस्ट्रा के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में अविलम्ब जमा एवं भारत सरकार के आदेशानुसार पॉपीस्ट्रा के बचे हुए स्टॉक का नष्टीकरण जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार कराना होगा। नष्टीकरण होने तक बचा हुआ स्टॉक, उस क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप–निरीक्षक एवं निवर्तमान लायसेंसी की संयुक्त अभिरक्षा में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था। नष्टीकरण द्वारा पॉपीस्ट्रा निराकरण होने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान लायसेंसी को ही देने होंगे। ऐसे सम्यक निराकरण के उपरान्त ही उपरोक्त कण्डिका क्रमांक 9.4 में वर्णित अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत/जमा की गई बैंक गारंटी उसे वापिस योग्य होगी।

20.5 भारत सरकार के आदेशानुसार पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.–2) लायसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति पर, उसके लायसेंस के अन्तर्गत अवशेष रहे पॉपीस्ट्रा को अनिवार्यतः नष्ट किया जाना ही एकमात्र विकल्प होगा। ऐसे नष्टीकरण के फलस्वरूप संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.–2) लायसेंसी को किसी प्रकार का प्रतिकर पाने की पात्रता नहीं होगी।

21 <u>पॉपीस्ट्रा पर देय ड्यूटी व परिवहन फीस</u> :–

21.1 वर्ष 2011–12 में पॉपीस्ट्रा पर निर्धारित <u>ड्यूटी/फीस निम्नानुसार रहेगी</u> :–

(1) ड्यूटी :– पी.एस.–2 से पी.एस.–3 में परिवहन के समय	रूपये 10/– प्रति किलोग्राम
(2) परिवहन फीस :– पी.एस.–2 उत्पादक जिले से अन्य किसी भी पी.एस.–2 या पी.एस.–3 लायसेंसी को परिवहन के समय	रूपये 5/– प्रति किलोग्राम
(3) निर्यात फीस :– अन्तर्राज्यीय निर्यात हेतु	रूपये 10/– प्रति किलोग्राम
(4) आयात फीस :– अन्तर्राज्यीय आयात हेतु	रूपये 10/– प्रति किलोग्राम

21.2 वर्ष 2011–12 में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.–2 लायसेंसी के अनुज्ञप्त परिसर में, उसके संलग्न अतिरिक्त गोदाम/गोदामों से पॉपीस्ट्रा का परिवहन करने पर परिवहन किये जाने वाली मात्रा को विचार में लाये बिना, परिवहन फीस, रूपये 100/– प्रति परिवहन पास अग्रिम जमा करायी जायेगी।

22 <u>उपरोक्त शर्त क्रमांक 13 एवं 15</u> के अधीन पुनःनिष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि टेण्डर के दिन टेण्डर स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो, ऐसे पुनःनिष्पादन की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जायेगी और संबंधित जिला कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सूचना का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

23 आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर को अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी, टेण्डर द्वारा निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में विहित शर्तों के अध्यधीन, उन्हें पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करने के आदेश, टेण्डर द्वारा निष्पादन अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। 07 दिवसों की गणना में निष्पादन का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

24 <u>अफीम उत्पादक जिलों के अतिरिक्त शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों के लिए पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के (पी.एस.–3) लायसेंसों की व्यवस्था</u> :–

मध्यप्रदेश राज्य के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम एवं शाजापुर को छोड़कर शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.–2 लायसेंस नहीं रहेंगे। प्रदेश के केवल 22 जिलों (1) ग्वालियर (2) भिण्ड (3) मुरैना (4) श्योपुर (5) शिवपुरी (6) गुना (7) अशोकनगर (8) इन्दौर (9) बुरहानपुर (10) खरगौन (11) खण्डवा (12) धार (13) बडवानी (14) जबलपुर (15) नरसिंहपुर (16) सिवनी (17) भोपाल (18) होशंगाबाद (19) रायसेन (20) राजगढ़ (21) अनूपपुर (22) देवास में ही पी.एस.–7 अनुज्ञाधारक धारक पंजीकृत व्यसनियों को नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया के अधीन पॉपीस्ट्रा फुटकर विक्रय करने के लिए, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.–3 लायसेंस, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

25 <u>अन्य व्यवस्थायें</u> :–

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन एवं निश्चित वार्षिक लायसेंस फीस पर, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.–3 लायसेंस की स्वीकृति एवं ऐसे लायसेंसों के संचालन के संबंध में, जिन व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख अथवा/अन्यथा पृथक से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं वर्ष 2010–11 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार पूर्ववत/यथावत लागू रहेंगी।

26 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय–समय पर संशोधित किए गए नियमों और समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा।

27 निष्पादन का कार्यक्रम :–

	27.1	**टेण्डर प्रपत्र विक्रय करने की अवधि व समय–**	सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला मन्दसौर, नीमच व शाजापुर के कार्यालय में दिनांक 09 मई 2011 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 10 मई 2011 को दोपहर 12.00 बजे तक।
	27.2	**टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय–**	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक **8 मई** 2011 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में।
			उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के उज्जैन स्थित कार्यालय में दिनांक **9 मई** 2011 तक अवकाश के दिनों सहित कार्यालयीन समय में।
			संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक **9 मई** 2011 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में तथा दिनांक **10** मई 2011 को दिन 14.30 बजे तक।
	27.3	**टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय –**	दिनांक **10 मई** 2011 को दिन 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

परिशिष्ट –एक

क्र.	नाम जिला	निष्पादन स्थल
1	जिला मन्दसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मन्दसौर
2	जिला नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
3	जिला रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम
4	जिला शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.